इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 552] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 21, शक 1935

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

क्र. एफ 1-4-2013-बाईस-पं. 1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, पंचायत राज संचालनालय तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा में भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज संचालनालय तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भरती नियम, 2013 है.

(2) ये ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है आयुक्त/संचालक, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश;

(ख) ''मण्डल'' से अभिप्रेत है सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा संचालित करने हेतु व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश;

(ग) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश;

(घ) ''समिति'' से अभिप्रेत है विभागीय पदोन्नति समिति;

(ङ) ''संचालक'' से अभिप्रेत है संचालक, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश;

(च) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है सेवा में भरती के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा;

(छ) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(ज) ''सरकार'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(झ) ''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ञ) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ट) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ठ) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ड) ''सेवा'' से अभिप्रेत है पंचायत राज संचालनालय तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा;

(ढ) ''राज्य'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होगा.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी, अर्थात् :—

(क) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;

(ख) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व, सेवा में भर्ती किए गए हों; और

(ग) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गए हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उनसे संलग्न वेतनमान अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे :

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सेवा में, भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा, प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार द्वारा या चयन द्वारा;

(ख) अनुसूची-चार के कालम (2) में यथादर्शित सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवा में ऐसे पद मूल हैसियत में धारण कर रहे हों, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो. भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के पश्चात् उक्त उपनियम में सेवा में भर्ती के लिये विनिर्दिष्ट तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**— किसी अभ्यर्थी को चयन के लिये पात्र होने हेतु निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी अर्थात् :—

(एक) **आयु.**—

(क) उसने चयन होने की तारीख की आगामी प्रथम जनवरी को अनुसूची तीन के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो किन्तु उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी:—

(एक) कोई अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) कोई अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से कोई पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) कोई अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—शब्द ''छंटनी किया गया सरकारी सेवक'' से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया दिया गया हो.

(चार) किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई हो या जो अतिशेष घोषित किया गया हो :—

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे समय पूर्व सेवानिवृत्त (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) कर दिया गया हो;

(2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिसे

(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर;

सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक.

(4) संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं.

(5) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर निरंतर छह मास से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो.

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है.

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(घ) विधवा निराश्रित व तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी. या यह छूट आयु के संबंध में दी जाने वाली अन्य छूटों के अतिरिक्त होगी.

(ङ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(च) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरुस्कृत दम्पत्तियों के उच्च जाति के सवर्ण पति-पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छ) ''विक्रम पुरस्कार'' धारी अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य / निगम / मण्डलों के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु अधिकतम 45 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की सम्पूर्ण कालावधि, अधिकतम 5 वर्ष तक के अध्यधीन रहते हुए, कम करते हुए शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए.

टिप्पणी.—(1) ऐसे अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) और (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत चयन हेतु पात्र पाए जाते हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो वे चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं तथापि, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी की गई हो तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे.

टिप्पणी.—

(2) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करते हुए किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी अधिकतम आयु सीमा की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-11-12-1-3, दिनांक 3 नवम्बर 2012 एवं दिनांक 20 नवम्बर 2012 के अनुसार की जाएगी.

टिप्पणी.—

(3) किसी भी अन्य दशा में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जाएगी. विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में प्रवेश के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी.

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं :**—अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जो अनुसूची-तीन में दर्शाई गई हैं, परन्तु,—

(क) आपवादिक मामलों में व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की राय में अभ्यर्थी का चयन के लिये विचार किए जाने को न्यायोचित ठहराती हो; और

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों पर भी, जो अन्यथा अर्ह हों किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां ली हों जो राज्य सरकार द्वारा विशिष्टतः मान्यताप्राप्त न हों, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के विवेक पर परीक्षा/चयन में सम्मिलित होने के लिये विचार किया जा सकेगा.

(3) **फीस.**—अभ्यर्थी को व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा विहित की गई फीस का संदाय करना होगा.

9. **निरर्हता.**—(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी साधन से किया गया कोई भी प्रयास व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा, उनके परीक्षा/चयन में बैठने के संबंध में निरर्हता के रूप में माना जावेगा.

(2) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी भी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा.

(3) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई भी ऐसा अभ्यर्थी, जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान हो तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो जिसमें दो या दो से अधिक जीवित संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा.

(4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी का अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहां किसी न्यायालय में अभ्यर्थी के विरुद्ध ऐसा कोई मामला लंबित है, वहां उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक प्रकरण में अन्तिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा.

10. **लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों द्वारा सीधी भर्ती.**—(1) सीधी भरती लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों के द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी, जो कि नियुक्ति प्राधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करे.

(2) प्राप्त आवेदनों की सूक्ष्म जांच के पश्चात् प्रत्येक प्रवर्ग के पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची पद के लिए विहित अर्हता परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में बनाई जाएगी.

(3) लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुज्ञात या साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्तियों के दस गुने से अधिक नहीं होगी. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थियों पर विचार उसी क्रम में होगा, जिस क्रम में उनके नाम उपरोक्त उप नियम (2) के उपबंधों के अनुसार बनाई गई सूची में आए हों.

(4) यदि चयन समिति, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार दोनों के द्वारा भर्ती करने का विनिश्चय करती है तो परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुज्ञात अभ्यर्थियों की संख्या वही होगी जो उपनियम (3) में है किन्तु चयन समिति प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्तियों की संख्या के तीन गुने से अनधिक ऐसे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेगी, जो चयन समिति द्वारा अधिकथित स्तरमान के अनुसार लिखित परीक्षा में अर्ह हों.

(5) जब सीधी भर्ती लिखित परीक्षा के साथ ही साक्षात्कार द्वारा की जाना है, तो साक्षात्कार के लिए आवंटित अंक, अधिकतम अंकों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे.

(6) जब सीधी भर्ती केवल साक्षात्कार द्वारा ही की जानी हो तो मौखिक परीक्षा के लिए आवंटित अंक अधिकतम अंकों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे. शेष अंक शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, एन.सी.सी./ राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट गाइड की गतिविधियों में भागीदारी जो राज्य स्तर से कम न हों, आदि खेलों तथा पाठ्येत्तर गतिविधियों में भागीदारी के आधार पर दिये जायेंगे. ऐसी विभिन्न गतिविधियों के लिए अंकों का वितरण तथा अन्य मानक चयन समिति द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे.

(7) साक्षात्कार में अभ्यर्थी की उपयुक्तता का निर्धारण उसके व्यक्तित्व, सामान्य प्रवीणता, वृत्तिक ज्ञान, स्थानीय बोली में वार्तालाप कौशल, स्थानीय पर्यावरण का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य रूचि आदि को ध्यान में रखते हुए मौखिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा.

(8) लिखित परीक्षा, आयुक्त/संचालक, पंचायत राज द्वारा चयन समिति के निदेशन तथा पर्यवेक्षण में, समय-समय पर नियत तिथियों पर ली जाएगी.

11. **सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करना.**—(1) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति, क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रसारित दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करके की जाएगी. विज्ञापन में पद का नाम, अभ्यर्थी द्वारा धारित की जाने वाली अपेक्षित अर्हता, भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की रिक्तियों की संख्या भी विनिर्दिष्ट की जाएगी.

(2) ऐसे विज्ञापन की एक प्रति, पंचायत राज संचालनालय के सूचना फलक पर चस्पा की जाएगी.

(3) ऐसी रिक्तियां संचालक, रोजगार कार्यालय, को भी संसूचित की जाएगी.

12. **पंचायत राज संचालनालय सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हताएं.**—कोई व्यक्ति किसी भी पद पर सीधी भरती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा :—

(1) जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो या नेपाल या भूटान की प्रजा न हो और मध्यप्रदेश का स्थाई मूल निवासी न हो;

(2) यदि वह केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या को-आपरेटिव सोसाइटी या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम की सेवाओं से दुराचरण के कारण बर्खास्त किया गया हो;

(3) यदि वह ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो.

(4) यदि वह महिलाओं के विरुद्ध प्रताड़ना के लिये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहरा दिया गया हो :

परन्तु यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध मामला किसी न्यायालय में लंबित है तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा.

(5) यदि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हैं और महिला अभ्यर्थियों की दशा में उसने ऐसे पुरुष से विवाह कर लिया है जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी है;

(6) यदि वह पद के लिये विहित न्यूनतम अर्हता नहीं रखता है;

(7) यदि वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या केन्द्र या राज्य सरकार के उपक्रम या किसी शासकीय सहायताप्राप्त निकाय का कर्मचारी है, जब तक कि वह अपने नियोजक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लेता और इसे अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं कर देता.

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—(1) पात्र अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक चयन करने हेतु अनुसूची चार में उल्लिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति का गठन किया जाएगा :

परन्तु इस उपनियम के अधीन समिति का गठन करने के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का पालन किया जाएगा.

(2) समिति की बैठक सामान्यत: एक वर्ष से अनधिक के ऐसे अंतरालों से होगी जैसा कि वह उचित समझे.

(3) पदोन्नति में आरक्षण और विचारण के क्षेत्र की सीमा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति में आरक्षण और विचारण के क्षेत्र की सीमा) नियम, 1997 के उपबंधों और सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी.

14. **पदोन्नति के लिए पात्रता.**—(1) नियम 13 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को, उस पद पर जिससे कि पदोन्नति की जाना है, उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न या मूलरूप से) या राज्य सरकार द्वारा अनुसूची-चार के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट उनके समतुल्य घोषित पद या पदों पर पूर्ण कर ली हो और जो नियम 13 के उपनियम (3) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों :

परन्तु इमरजेंसी कमीशन तथा अल्पावधि सेवा कमीशन से निर्मुक्त अधिकारियों की सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2266/1967/1/367, दिनांक 21 अक्टूबर, 1967 के अनुसार सेवा की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिस तारीख से उन्हें सेवा में नियुक्त माना गया हो:

परन्तु यह और कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को, चयन/पदोन्नति के लिये विचार करने हेतु केवल इस आधार पर कि उसने सेवा की विहित कालावधि पूर्ण कर ली है, उससे वरिष्ठ व्यक्तियों पर अधिमान नहीं दिया जाएगा.

15. **उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार किया जाना.**—(1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो ऊपर नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों और जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो. यह सूची चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी. उक्त सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की जाएगी.

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए चयन वरिष्ठता का सम्यक् ध्यान रखते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा.

(3) ऐसी सूची को तैयार करते समय सूची में सम्मिलित किए गए कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर, ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे.

स्पष्टीकरण.—कोई व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत न हुआ हो, केवल उसके पूर्ववर्ती चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं करेगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जाएगी.

(5) यथास्थिति चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान यदि सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित किया जाना प्रस्तावित है तो समिति, प्रस्तावित अधिक्रमण के लिये अपने कारण अभिलिखित करेगी.

16. **प्रतीक्षा सूची.**— समिति द्वारा, रिक्तियों को भरने के लिये तैयार की गई व्यक्तियों की चयन सूची के अतिरिक्त एक प्रतीक्षा सूची भी होगी जिसमें रिक्तयों के लिए चयनित व्यक्तियों के 25 प्रतिशत नाम समाविष्ट किए जाएंगे. यह प्रतीक्षा सूची 1 वर्ष तक विधिमान्य होगी.

17. **चयन सूची का अनुमोदन.**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी उक्त समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और जब तक वह कोई परिवर्तन करना आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदन करेगा.

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हों, उनके लिये लिखित में कारण देते हुए सूची को अन्तिम रूप से अनुमोदित करेगा.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में वर्णित पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में वर्णित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जाएगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्त्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी.

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**—(1) चयन सूची से सेवा के संवर्ग के पदों पर सेवा में नियुक्ति मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित रोस्टर के अनुसार की जाएगी तथा चयन सूची में अन्य कर्मचारियों की तुलना में उनकी सापेक्षिक रैंक पर विचार किए बिना वह पंचायत राज संचालनालय द्वारा संधारित की जाएगी:

परन्तु जहां प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी रिक्ति के तीन मास से अधिक चलने की संभावना नहीं है.

(2) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व उक्त समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने और प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में कोई ऐसी गिरावट न आ गई हो जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी हो जो पंचायत राज संचालनालय सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त ठहराती हो.

19. **परिवीक्षा और नियमितीकरण**.—(1) सेवा में सीधी भरती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

(2) किसी भी व्यक्ति को पंचायत राज संचालनालय सेवा में किसी ऐसे पद पर तब तक नियमित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने परिवीक्षा की कालावधि संतोषजनक रूप से पूर्ण न कर ली हो अथवा विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण न कर ली हो अथवा ऐसा पद धारण करने के लिये सरकार या पंचायत राज संचालनालय द्वारा यथा अधिकथित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, प्राप्त न कर लिया हो.

20. **पदक्रम सूची**.— पंचायत राज संचालनालय के प्रत्येक प्रवर्ग के कर्मचारियों की अनुसूची एक में उल्लिखित पदों के अनुसार एक पदक्रम सूची तैयार की जाएगी. ऐसी सूची में प्रवर्ग अनुसार सेवा में ज्येष्ठता के क्रम में कर्मचारियों के नाम दर्शित किए जाएंगे. इस प्रकार तैयार की गई पदक्रम सूची का मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रत्येक वर्ष प्रकाशन किया जाएगा.

21. **निर्वचन**.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

22. **शिथिलीकरण**.—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्रवाई करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

23. **व्यावृत्ति**.—इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

24. **निरसन**.—इन नियमों के तत्स्थानी और उनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्‌द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई है.

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)
सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु-क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान+ग्रेड पे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	खण्ड पंचायत अधिकारी	313	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	9300-34800+3200
2	संकाय सदस्य (खण्ड पंचायत अधिकारी)	21	-तदैव-	9300-34800+3200
3	पंचायत समन्वय अधिकारी स्नातक (नान डाइंग केडर)	2000	-तदैव-	5200-20200+2400
4	पंचायत समन्वय अधिकारी गैर स्नातक (डाइंग केडर)	1325	-तदैव-	5200-20200+2100

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)
भरती का तरीका

अनु-क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा [नियम 6(1)(ग) देखिए]	अभ्युक्तियां
			सीधी भरती द्वारा [नियम 6(1)(क) देखिए]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1)(ख) देखिए]		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्ड पंचायत अधिकारी	313	20 प्रतिशत	80 प्रतिशत	-	व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के द्वारा चयन
2	संकाय सदस्य (खण्ड पंचायत अधिकारी)	21	20 प्रतिशत	80 प्रतिशत	-	—''—
3	पंचायत समन्वय अधिकारी स्नातक (नान डाइंग कैडर)	2000	80 प्रतिशत	-	-	(क) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के द्वारा चयन
	राज्य स्तरीय संवर्ग		20 प्रतिशत	-		(ख) 20 प्रतिशत पद विभागीय परीक्षा द्वारा स्नातक ग्राम पंचायत सचिवों से भरे जाएंगे.
4	पंचायत समन्वयक अधिकारी गैर स्नातक (डाइंग कैडर) जिला स्तरीय संवर्ग	1325	-		-	डाइंग कैडर होने से, अभ्यर्थियों के पदों से सेवानिृत्त होने के पश्चात् पद स्वमेव समाप्त हुए समझे जाएंगे.

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिए)

अनु-क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	खण्ड पंचायत अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	स्नातक (किसी भी संकाय में) कम्प्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य.	व्यावसायिक परीक्षा मण्डल या विभागीय परीक्षा के द्वारा चयन.
2	संकाय सदस्य (खण्ड पंचायत अधिकारी)	21 वर्ष	40 वर्ष	स्नातक (किसी भी संकाय में) कम्प्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य.	व्यावसायिक परीक्षा मण्डल या विभागीय परीक्षा के द्वारा चयन.
3	पंचायत समन्वय अधिकारी स्नातक (नान डाइंग कैडर)	21 वर्ष	40 वर्ष	स्नातक (किसी भी संकाय में) कम्प्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य.	व्यावसायिक परीक्षा मण्डल या विभागीय परीक्षा के द्वारा चयन.

अनुसूची-चार
(नियम 13 देखिए)

अनु-क्रमांक	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	कॉलम (3) में दर्शाए गए पद पर पदोन्नति के लिए कॉलम (2) में दर्शाए गए पद पर की गई सेवा के वर्षों की संख्या अर्हताकारी सेवा की न्यूनतम अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	चयन का तरीका
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पंचायत समन्वय अधिकारी (स्नातक)	खण्ड पंचायत अधिकारी/ संकाय सदस्य	5 वर्ष	1. संचालक/अपर संचालक-अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक (प्रशासन)—सदस्य 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से एक नामनिर्दिष्ट अधिकारी, जो उप-संचालक स्तर के समतुल्य हो-सदस्य	योग्यता-सह-वरिष्ठता

Bhopal, the 12th December 2013

No. F-1-4-2013-XXII-P.1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment to the post of the Panchayat Raj Sanchalnalaya Class-III (Executive) Service, namely:—

RULES

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Panchayat Raj Sanchalnalaya Class-III (Executive) Service Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules unless the context otherwise requires;—

(a) "Appointing Authority" means Commissioner/Director Panchayat Raj Sanchalnalaya, Madhya Pradesh;

(b) "Board" means the Professional Examination Board Madhya Pradesh to conduct examination for recruitment to the service;

(c) "Commissioner" means the Commissioner Panchayat Raj Sanchalnalaya, Madhya Pradesh;

(d) "Committee" means the Departmental Promotion Committee;

(e) "Director" means the Director Panchayat Raj Sanchalnalaya, Madhya Pradesh;

(f) "Examination" means Competitive examination to be conducted for recruitment to the Service;

(g) "Governor" means Governor of Madhya Pradesh;

(h) "Government" means Government of Madhya Pradesh;

(i) "Other Backward Classes" means Other Backward classes of citizen as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5/XXV-4-84 dated the 26th December 1984 as amended from time to time;

(j) "Schedule" means Schedules appended to these rules;

(k) "Scheduled Castes" means any caste, race, or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as such in relation to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(l) "Scheduled Tribe" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such in relation of the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

(m) "Service" means Panchayat Raj Sanchalnalaya class-III (Executive) Service;

(n) "State" means the State of Madhya Pradesh:

3. **Scope and application.—**Without prejudice to the generality of the provisions contained of the Madhya Pradesh Civil Service (General conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of Service.**—The Service shall consist of the following persons, namely :—

(a) Persons who at the time of commencement of these rules are holding any post substantively or officiating capacity specified in Schedule-I;

(b) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(c) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.** – The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I :

Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.**— (1) Recruitment to service after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :—

(a) By direct recruitment by competitive examination and interview; or by selection ;

(b) By promotion as shown in column (2) of Schedule-IV;

(c) By transfer of persons who held in a substantive capacity such posts in such services as specified in this behalf;

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time, exceed the percentage as shown in schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government .

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the appointing authority the exigencies of the service so require, he may after approval of the Government in the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf prescribe.

7. **Appointment to Service.**— All appointments to the service after commencement of these rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule-6.

8. **Conditions of Eligibility for Direct Recruitment.**—In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:—

(1) **Age.**— (a) He must have attained the age specified in column (3) of Schedule-III and not attained the age specified in column (4) of the said schedule on the first day of January next following the date of commencement of the selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or Scheduled Tribes.

(c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below :—

(i) A candidate who is a permanent Government Servant should not be more than 45 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 45 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the project implementing committees;

(iii) A candidate, who is a retrenched government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than five years.

Explanation—The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this state or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in government service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.— The term "Ex-servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service:—

(1) Ex-Serviceman released under mustering out of concessions;

(2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on.—
  (a) Completion of short term engagement; and
  (b) Fulfilling the conditions of enrolment;

(3) Ex personal of madras Civil Units;

(4) Officer (Military and Civil) Discharged on completion of their contract including Short Service Regular Commissioned Officer;

(5) Officers/ Employees discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(6) Ex-serviceman invalidated out of service;

(7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(8) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun shot, wounds etc.

(d) The general upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of widow woman candidates. This relaxation shall be in addition to the other relaxation relating to age.

(e) The upper age limit shall be relaxable upto 2 years in respect of Green-Card holder candidates under the Family Welfare Programme;

(f) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste marriage incentive programme of the Tribal, Scheduled Castes and Backward Classes Welfare Department.

(g) The upper age limit shall be relaxed upto five years in respect of the "Vikram Award" holder candidates ;

(h) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 45 years of age in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State /Corporations/Boards;

(i) The upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 5 years but in no case their age should exceed 45 years.

Note.— (1) Candidates, who are found eligible for selection, under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (c) above will not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They will however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

Note.— (2) The total relaxed period for every category shall be such which shall not exceed the upper age limit of 45 years. The maximum age shall be calculated in accordance with the circular No. C-3-11-12-1/3 dated the 3rd November 2012 and 20th November 2012.

Note.—(3) In no other case will these age limits be relaxed the Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the selection.

(2) **Educational qualifications.—**The Candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III provided that—

(a) in exceptional cases the Professional Examination Board may on the recommendation of the Appointing Authority treat as qualified any candidate who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause has passed examination conducted by other institutions by such a standard which in the opinion of the Professional Examination Board Justifies the consideration of the candidate for selection; and

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign Universities being University not specifically recognised by the Government may also be considered for appearing in the examinations/selection at the discretion of the Professional Examination Board.

(3) Fees.—The candidate must pay the fees prescribed by the Professional Examination Board.

9. **Disqualification.**—(1) Any attempt on the part of candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Professional Examination Board to disqualify him for appearing in the examination selection.

(2) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post, who has married before the minimum age fixed for marriage.

(3) A candidate shall not be eligible for any service or post if he has more than two living children one of whom is born on or after 26th January 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th January 2001 in which two or more than two children are born.

(4) No candidate shall be eligible for the appointment to any service or post who has been convicted for an offence against the women:

Provided that where such case is pending in a court against the candidate, his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the criminal case.

10. **Direct Recruitment by written test or by interview or by both.—** (1) Direct recruitment shall be made by holding written test or by interview or by both at such intervals, as the appointing authority may, from time to time, determine in consultation with General Administration Department.

(2) After scrutiny of the applications received, a list of eligible candidates for each category shall be prepared in descending order of the marks obtained in the qualifying examination prescribed for the post.

(3) The number of candidates allowed to appear in written test or called for interview, shall not exceed ten times of the vacancies in each category. The candidates shall be considered for written test or interview in the order in which their names appear in the list prepared in accordance with the provisions of above sub-rule (2).

(4) If the Selection Committee decides to make recruitment through written examination and interview both the number of candidates allowed to appear in the test shall be the same as in sub-rule (3) but the selection committee shall interview such candidates, not exceeding three times of the number of vacancies in each category as may qualify in the written examination according to the standard laid down by the Selection Committee.

(5) When direct recruitment is made, by holding written test alongwith interview, the marks allotted for interview shall not exceed ten percent of the maximum marks.

(6) When direct recruitment is made by holding interview only, the marks allotted for oral test shall not exceed ten percent of the maximum marks. The remaining marks shall be awarded on the basis of academic qualification, experience, participation in activities of NCC/NSS, Scouts Guides, participation in the games and extra curricular activities of not below the level of State, etc. The distribution of marks for such various activities and other norms shall be decided by Selection Committee.

(7) In interview, the suitability of the candidate shall be assessed by oral test having regard to their personality, general proficiency, professional knowledge, communication skills in local dialect, knowledge of local environment, general knowledge, general aptitude etc.

(8) The written test shall be held by the Commissioner/Director Panchayat Raj from time to time on fixed date under the direction and supervision of the Selection Committee.

11. **Inviting Application for Direct Recruitment.—** (1) Appointment by direct recruitment shall be made by inviting applications through advertisement in a daily news paper widely circulated in the area. The advertisement shall also specifying the name of the post, qualification required to be possessed by the candidate, number of vacancies to be filled in, number of vacancies reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(2) A copy of such advertisement shall be affixed on the notice board of the Panchayat Raj Sanchalnalaya.

(3) Such vacancies shall also be intimated to the Director Employment Exchange.

12. **Disqualifications for appointment to Panchayat Raj Sanchalnalaya Service.—** No person shall be appointed by direct recruitment to any post.—

(1) unless he is a citizen of India or a subject of Nepal or Bhutan and permanent original resident of Madhya Pradesh.

(2) If he has been dismissed for misconduct from service of Central Government, State Government, Zila or Janpada Panchayat or Gram Panchayat or any other local authority or a Co-operative Society or an Public Sector Undertaking under the control of Central Government or State Government.

(3) If he has been convicted of an offence which involves moral turpitude;

(4) If he has been convicted of an offence against women torture:

Provided that where such case is in pending in a court against candidate, his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the Criminal Case;

(5) If he has more than one wife living, and in case of a female candidate, if she has married to a person having a wife living already;

(6) If he does not possess minimum prescribed qualification for the post; or

(7) If he is an employee of the Central Government or of the State Government or of any local authority or of Central Government, or State Government undertaking or of any Government aided body, unless he obtains no objection certificate of his employer and submits it alongwith his application.

13. **Appointment by Promotion.—** (1) There shall be constituted a Committee, consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates :

Provided that, for the purpose of constitution of the committee under this sub-rule, the provisions of Section 8 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyan, Anusuchit Janjatiyan Aur Anya Pichhda Vargaon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), shall also be adhered to.

(2) The Committee shall meet at such intervals as think fit but ordinarily not exceeding one year.

(3) Reservation in promotion and limits on the extent of zone of consideration shall be made in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Reservation in Promotion and limits of extent of zone of consideration) Rules, 1997 and instructions issued by the Government in General Administration Department from time to time.

14. **Eligibility for Promotion.—** (1) The Committee referred to in sub-rule (1) of rule 13, shall consider the cases of all persons, who on the day of Ist January of that year, had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) on the posts from which promotion is to be made or on any other post or posts declared equivalent thereto by the State Government as specified in column (3) of the Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (3) of 13:

Provided that the service of the released officers of the emergency commission and short service commission after their appointments in the service shall be counted from the date from which they have been deemed to have been appointed in the service in accordance with General Administration Department's Circular No.2266/1967/1/3/67, Dated 21st October, 1967:

Provided further that no junior person shall be considered for selection for selection grade/promotion in preference to the persons senior to him, only on the basis of completing the prescribed period of service.

15. **Preparation of list of suitable candidates.—** (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons, who satisfy the conditions prescribed in rule-14 above and are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirements and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list of the 25% of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring, during the course of the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects with due regard to seniority.

(3) The names of the Employees/Officers included in the list shall be arranged in order of seniority in the service on posts as specified in column (2) of schedule IV at the time of preparation of such select list:

Explanation.— A person, whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, as the case may be, it is proposed to supersede any member of Service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16. **Waiting list.—** There shall be a waiting list, in addition to a selection list of persons prepared by the committee for fulfilling the vacancy containing the names 25% of the selected persons of the vacancy. This waiting list shall be valid for one year.

17. Approval of Select list.— (1) The Appointing Authority shall consider the list prepared by the said Committee and unless it considers any change necessary, approved the list.

(2) If the Appointing Authority considers it necessary to make any change in the list shall approve the list finally with such modifications, if any, narrating reasons thereof in writing.

(3) The list as finally approved by the Appointing Authority shall form the select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in Column (2) of Schedule IV to the posts mentioned in Column (3) of the said Schedule.

(4) The select list shall ordinarily be inforce until is reviewed are revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duty on the part of any persons included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of Appointing Authority and the said Committee may, if it thinks fit, remove the names of such persons from the select list.

18. **Appointment to service from the select list.**— (1) Appointment to the service from the select list to posts on the cadre of the service shall be made in accordance with the roster prescribed with the roster prescribed by the State Government under the Madhya Pradesh Lok Seva (Annusuchit Jatiyon, Annusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhada Vargon ke liye Arakashan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and maintained by the Panchayat Raj Sanchalnalaya irrespective of their relative rank as compared with other employee in the select list.:

Provided that where administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the select list may be appointed to the service if the appointing authority is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the said committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment, there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the Panchayat Raj Sanchalnalaya's Service.

19. **Probation and Regularization**.—(1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

(2) The person appointed on any post of the Panchayat Raj Service shall not be regularised until the probation period is not completed satisfactorily by him or he has not passed the Departmental Examination, if any, or he has not undergone training for the post, if any, as laid down by the Government or Panchayat Raj Sanchalnalaya for holding such post.

20. **Gradation list.**—A gradation list of employees of every category of the Panchayat Raj Sanchalnalaya shall be prepared according to the post specified in Schedule-1, In such list names of employees shall be shown according to category-wise seniority in the service. The prepared gradation list shall be published every year in the Madhya Pradesh Gazette.

21. **Interpretation.**— If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

22. **Relaxation.**— Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom, these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt within any manner less favourable to him than that provided in these rules.

23. **Savings**.—Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

24. **Repeal.**— All rules corresponding to these rules and inforce immediately before their commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE – I

(See Rule - 5)

Classification of Service, Scale of Pay and posts included in the Service

S. No.	Name of Posts included in the Service	Number of Posts	Classification	Pay Scale + Grade Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Block Panchyat Officer	313	Class - III (Executive)	9300-34800+3200
2.	Faculty Member (Block Panchayat Officer)	21	—do—	9300-34800+3200
3.	Panchayat Cordination Officer Graduate (Non Dying Cadre)	2000	—do—	5200-20200+2400
4.	Panchayat Cordination Officer Non-Graduate (Dying Cadre)	1325	—do—	5200-20200+2100

SCHEDULE – II

(See Rule - 6)

Method of Recruitment

S. No	Name of the Post Included in the Service	Total Number of Posts	Percentage of the Number of Posts to be filled in			Remarks
			By Direct recruitment [see rule 6(1) (a)]	By Promotion of the members of Service [see rule 6 (1) (b)]	By temporary transfer of persons of other services [see rule 6 (1) (c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Block Panchyat Officer	313	20%	80%	-	Selection by Professional Examination Board.
2	Faculty Member (Block Panchayat Officer)	21	20%	80%		Selection by Professional Examination Board.
3	Panchayat Co-ordination Officer Graduate (Non Dying Cadre) Sate Level Cadr	2000	80% 20%	-		(a) Selection by Professional Examination Board. (b) 20% percent posts shall be filled by Departmental Examination from Graduate Gram Panchayat Secretaries.
4	Panchayat Co-ordination Officer Non-Graduate (Dying Cadre) District Level Cadre.	1325	-	-		Being a dying cadre, after retirement of the candidates having the posts, the posts shall be deemed to be Automatically abolished.

SCHEDULE – III
(See Rule - 8)

S. No. (1)	Name of post (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Prescribed educational Qualifications (5)	Remarks (6)
1.	Block Panchyat Officer.	21 years	40 years	Graduate (in any faculty) Diploma in Computer Compulsory.	Selection by Professional Examination Board or Departmental Examination.
2.	Faculty Member (Block Panchayat Officer).	21 years	40 years	Graduate (in any faculty) Diploma in Computer Compulsory.	Selection by Professional Examination Board or Departmental Examination.
3.	Panchayat Co-ordination Officer Graduate (Non-Dying Cadre)	21 years	40 years	Graduate (in any faculty) Diploma in Computer Compulsory.	Selection by Professional Examination Board or Departmental Examination.

SCHEDULE – IV
(See Rule - 13)

S. No. (1)	Name of the post from which promotion is to be made (2)	Name of the post to which promotion is to be made (3)	Number of years of service on the post shown in column (2) for promotion to the post shown in column (3) minimum period of qualifying service (4)	Members of Departmental Promotion Committee (5)	Method of Selection (6)
1	Panchayat Co-ordination Officer (Graduate)	Block Panchayat Officer/Faculty Member	5 years	1- Director/Additional Director—Chairman 2- Joint Director (Administration) —Member 3- One nominated officer from Scheduled Caste/ Scheduled Tribe category who is equivalent to the rank of Deputy Director —Member	Merit-cum-Seniority

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.